रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265632
CG-DL-E-22082025-265632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3702]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947
No. 3702]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

okf.kT; ,oa m|ksx ea=ky;
(okf.kT; foHkkx)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
vf/klwpuk

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

l- 25@2025&26

विषयः विदेश व्यापार नीति–2023 के iSjk 4-61 vkSj 4-63 में संशोधन के संबंध में।

dk-vk- 3806¼v½—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 (समय–समय पर यथा सं"ाोधित) के पैरा 1.02 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त "ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा ,QVhih&2023 ds iSjk 4-61 vkSj iSjk 4-63 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार सं"ाोधन करती हैः–

iSjk l-	ekStwnk iSjk	**संशोधित पैरा**
4.61	दो सितारा निर्यात हाऊस स्तर या इससे ऊपर वाला एक निर्यातक और जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष कटे हुए और पॉलिश किए हीरों में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम	दो सितारा निर्यात हाऊस स्तर या इससे ऊपर वाला एक निर्यातक और जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष कटे हुए और पॉलिश किए हीरों में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम निर्यात निष्पादन प्राप्त किया है और उन वर्षों की जीएसटी

	निर्यात निष्पादन प्राप्त किया है और उन वर्षों की जीएसटी और आयकर रिटर्न भरा है, उसे हीरा अग्रदाय प्राधिकार–पत्र दिया जा सकता है। यह प्राधिकार पत्र 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के अधिकतम मूल्य के अधीन पिछले तीन वित्तीय वर्षों पर कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के 5% तक प्राकृतिक रूप से कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों को आयात अनुमत करता है।	और आयकर रिटर्न भरा है, उसे हीरा अग्रदाय प्राधिकार–पत्र दिया जा सकता है। यदि पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न को अंतिम रुप नहीं दिया गया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। तथापि, इसे आवेदन वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर तक जमा किया जाना चाहिए। यह प्राधिकार पत्र 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के अधिकतम मूल्य के अधीन पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कटे हुए एवं पॉलि”ा किए हुए हीरों के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के 5% तक प्राकृतिक रुप से कटे एवं पॉलि”ा किए हुए हीरों को आयात अनुमत करता है।
4.63	हीरा अग्रदाय प्राधिकार–पत्र के अंतर्गत आयातों को मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन–रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षा शुल्क, परिवर्तन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो, के भुगतान से छूट दी गई है। ऐसे आयातों को सीमा ”ुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप–धारा (7) और उप–धारा (9) के अंतर्गत क्रमशः लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से भी छूट दी गई है।	हीरा अग्रदाय प्राधिकार–पत्र के अंतर्गत आयातों को मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन–रोधी प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षा शुल्क, परिवर्तन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो, के भुगतान से छूट दी गई है।

vf/klpuk dk iHkko½ डीआइए के अंतर्गत आयात को मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन–रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षा शुल्क, परिवर्तन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहा भी लागू हो, से छूट दी जाएगी। एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से पूरी छूट प्रदान नहीं की गई है। यदि नवीनतम आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो उसके स्थान पर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति देकर इस शर्त के साथ सरल बनाया गया है कि उक्त आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण आवेदन वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर तक जमा किया जाना चाहिए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं.–01/94/180/152/एएम20/पीसी–4]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

No. 25 /2025-26

Subject: Amendment to Para 4.61 and Para 4.63 of FTP-2023-reg.

S.O. 3806(E)—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2023 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends **Para 4.61 and Para 4.63 of FTP-2023**, with immediate effect, as under:

Para No.	Exiting Para	Revised Para
4.61	An exporter with a Two Star Export House status or above, and having achieved a minimum export performance of US$ 15 million in Cut & Polished Diamonds each year for the past three financial years and having filed all GST and Income Tax returns for those years, may be granted a Diamond Imprest Authorization. This authorization allows the import of Natural Cut & Polished Diamonds up to 5% of the average annual export performance of Cut & Polished Diamonds over the previous three financial years subject to a maximum value of US$ 15 million.	An exporter with a Two Star Export House status or above, and having achieved a minimum export performance of US$ 15 million in Cut & Polished Diamonds each year for the past three financial years and having filed all GST and Income Tax returns for those years, may be granted a Diamond Imprest Authorization. Chartered accountant certificate may be submitted in case ITR of the preceding year is not finalized. However, the same shall be submitted by 31st December of the application year. This authorization allows the import of Natural Cut & Polished Diamonds up to 5% of the average annual export performance of Cut & Polished Diamonds over the previous three financial years subject to a maximum value of US$ 15 million.
4.63	Imports under Diamond Imprest Authorisation are exempted from payment of Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable. Such, imports are also exempt from whole of the Integrated Tax and Compensation Cess leviable under sub-section (7) and sub-section (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).	Imports under Diamond Imprest Authorisation are exempted from payment of Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable.

Effect of the Notification: The import under DIA shall be exempted from Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti- dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable**.** Exemption from whole of the Integrated Tax and Compensation Cess is not provided. Flexibility has been introduced by permitting submission of a Chartered Accountant certificate in place of the latest Income Tax Return, if it is not yet filed, with the condition that the proof of submission of said ITR must be submitted by 31st December of the application year.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/94/180/152/AM20/PC-4]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.